Terms of Reference- Finance Analyst
Ministry of Health & Family Welfare
NHM Finance Division

Name of Division	NHM Finance Division (Financial Management Group)
Reporting to	Director/DS (NHM-Fin), US (NHM-Fin) and Finance Controller
Name of Position	**Finance Analyst**
Number of Positions	**One (1)**
Location	MoHFW, New Delhi

National Health Systems Resource Centre (NHSRC), New Delhi on behalf of Ministry of Health & Family Welfare (MoHFW) is seeking applications from qualified candidates for the above mentioned post purely on contractual basis

1. Background

National Health Mission is the umbrella programme of the Ministry of Health & Family Welfare, GOI to provide holistic public health delivery system both in the rural areas and urban areas. The manpower support in the shape of technical assistance purely on a contractual basis is required to assist in the implementation and monitoring of the financial management systems under NHM.

2. Objectives

Finance Analyst at the central level, has to monitor the funds management under NHM including release of funds, expenditure, FMRs, SFPs, unspent balances, Statutory Audit, Concurrent Audit, SNA-SPARSH, Utilization Certificates, field review visits and action taken thereon by the States.

3. Scope of Work

Key Responsibilities:

i. To ensure correctness/ compliance of release proposals based on extant guidelines and norms under NHM including Infrastructure Maintenace.

ii. Supervision, monitoring, training and guidance of the team consisting of Finance Assistants for the allocated States/UTs.

iii. Follow up with the States/UTs for implementation of SNA-SPARSH at State, District and block levels.

iv. Oversee data consolidation, generation of financial MIS activity-wise, Division-wise, state-wise, quarter and year-wise and generation of comparative statements with reference to percentage of allocation, release and expenditure by Finance Assistants.

v. Oversee preparation of financial year-wise sanction orders and overall settlement of

UCs with PAO, MoHFW by Finance Assistants.

vi. Coordination with Disease Control Programmes for compiling allocation, release and utilisation of funds etc.

Other Responsibilities:

i. Monitoring receipt of FMRs, Statement of Funds Position and Monthly Concurrent Audit Report from States/UTs and provide feedback on the trend of funds allocation, release and expenditure.
ii. Monitoring Statutory Audit process, timely receipt of Consolidated Audit Reports and Utilisation certificates, examination thereof and obtaining compliance from the respective States Uts.
iii. Compilation of component-wise funds utilisation data base for various programmes under NHM.
iv. Analysis of data relating to funds utilization, audited utilization certificates, trends of expenditure, pattern of utilization among the intra NHM components as per FMR format.
v. Preparation of FMR & Audit Analysis Reports for NHM programmes and their circulation to respective Programme Divisions of the Ministry and States/UTs for comments.
vi. Interaction with NDCPs relating to their progressive funds release and expenditure and obtaining the prescribed monthly status reports from them.
vii. Review of financial processes in the States/UTs with reference to NHM financial management guidelines and suggesting improvements therein.
viii. Joint Team Visits to States for finance, accounts and audit performance review, specific financial studies and preparing Reports with observations & recommendations for improvement.
ix. Conduct training & capacity building workshops for the State/District/block level finance/accounts staff from time to time and providing technical assistance to States/Uts.
x. Provide information and data support regarding Parliament Questions/Committees, RTI, Public Grievance, VIP references, CAG & DGACE audits etc. from time to time.
xi. To maintain and ensure regular updation of NHM PMS Portal/ electronic database functioning in NHM–Finance Division.
xii. Any other work assigned from time to time.

4. Outputs

Timely action on all tasks and responsibilities and submission of a detailed report to Director/DS (NHM-Finance) at the end of every quarter of action taken and proposed to be taken.

5. Qualifications and experience

Essential Qualification:

MBA (Finance) or PGDBM/PGDBA specialized in finance from a recognized Institution.

Experience of at least 5 years in finance and accounts matters in social, private or government sector.

Desirable Qualification:

Experience in Data Analytical Tools/Accounting Tools/ Softwares with proficiency in Data Analysis. Experience of working on Government PFMS Portal. Efficiency in MS-OFFICE(specially in Excel/Powerpoint).

6. Age Limit:

Upto 50 years on the last date of submitting application.

7. Travel and subsistence

The consultant should be ready to travel extensively to State/District/Block/village levels. All travels must be authorized in advance by the Director/DS (NHM-Finance) in advance. While travelling, the consultant will receive a fixed per diem allowance for boarding/lodging expenses as per NHSRC rules.

8. Reporting Requirements

The consultant will submit a report to the Director/DS (NHM-Finance) at the end of every quarter.

9. Consultancy period

Initially, contract will be upto 31st March 2027 but likely to be extended, subject to performance and requirement of the Division. The first three months will be on probation basis. Subject to satisfactory performance, the consultancy will continue for the full one year and the contract may further be renewed purely at the discretion of the MoHFW, GOI. The consultancy can, however, be terminated by either party by giving a notice of one month in writing.

10. Remuneration

The consultant will be paid a consolidated monthly remuneration of Rs.60,000/- to Rs.1,20,000/- on the basis of qualifications and experience as may be decided by the Joint Selection Board of the GOI, Development Partner and other nominated subject experts. If engaged and paid through GOI budget, the remuneration shall be decided by the MoHFW Selection/Review Committee on the basis of conditions prevailing at the time of open advertisement for that purpose.

The consultant shall not be entitled to any other benefits, payment, subsidy, compensation or pension, except as expressly provided in the consultancy agreement.

The consultant shall not be exempt from taxation and shall not be entitled to reimbursement of any taxes which may be levied as per existing rules on the remuneration received. Consultants recent CV and evidence of last consultancy payment received should be attached.

How to apply: Candidates are requested to fill in the online application correctly which is available on the NHSRC website (http://nhsrcindia.org) Applications will be accepted in the prescribed online application format only. The last date for receiving applications is **13-Oct-2026.**

Written test Condition: If the recruitment process includes a written test, a minimum qualifying mark will be 70%. However, If the number of qualifying candidates is high, a ratio of 1:5 will be adopted for 1 vacancy top 5 candidates will be considered. In case 2 or more candidates qualify with the same marks, all such candidates will be considered.

<u>विचारार्थ विषय- वित्त विश्लेषक</u>

<u>स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय</u>

<u>एनएचएम वित्त प्रभाग</u>

प्रभाग का नाम	एनएचएम वित्त प्रभाग (वित्तीय प्रबंधन समूह)
रिपोर्टिंग अधिकारी	निदेशक/उप सचिव (एनएचएम-वित्त), अवर सचिव (एनएचएम-वित्त) और वित्त नियंत्रक
पद का नाम	**वित्त विश्लेषक**
पदों की संख्या	**एक (01)**
स्थान	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी), नई दिल्ली, उपर्युक्त पद के लिए योग्य उम्मीदवारों से पूर्ण रूप से संविदा आधार पर आवेदन आमंत्रित कर रहा है।

1. पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समग्र जन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली प्रदान करना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन और निगरानी में सहायता के लिए पूर्णत: संविदा आधार पर तकनीकी सहायता के रूप में जनशक्ति की आवश्यकता होती है।

2. उद्देश्य

परामर्शदाता (वित्त) को केंद्रीय स्तर पर एनएचएम के अंतर्गत निधियों के प्रबंधन की निगरानी करना है, जिसमें निधियाँ जारी करना, व्यय, एफएमआर, एसएफपी, अव्ययित शेष राशि, सांविधिक लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा, एसएनए-स्पर्श, उपयोगिता प्रमाण पत्र, समीक्षा दौरों का आयोजन और राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई शामिल हैं।

3. कार्यक्षेत्र

प्रमुख उत्तरदायित्व:

i. अवसंरचना रखरखाव सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत मौजूदा दिशा-निर्देशों और मानदंडों के आधार पर निर्गत प्रस्तावों की शुद्धता/अनुपालन सुनिश्चित करना।

ii. आवंटित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वित्त सहायकों के दल का पर्यवेक्षण, निगरानी, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन करना।

iii. राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर एसएनए-स्पर्श के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना।

iv. वित्त सहायकों द्वारा डेटा समेकन, कार्य-वार, प्रभाग-वार, राज्य-वार, त्रैमासिक और वर्ष-वार वित्तीय एमआईएस तैयार करने और आवंटन, निर्गत और व्यय के प्रतिशत के संदर्भ में तुलनात्मक विवरण तैयार करने की देखरेख करना।

v. वित्त सहायकों द्वारा वित्तीय वर्ष-वार स्वीकृति आदेश तैयार करने और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पीएओ के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र के समग्र निपटान की देखरेख करना।

vi. निधियों के आवंटन, निर्गत और उपयोग आदि के संकलन हेतु रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के साथ समन्वय करना।

अन्य उत्तरदायित्व:

i. राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त एफएमआर, निधियों की स्थिति संबंधी विवरण और मासिक समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्ट की निगरानी करना और निधियों के आवंटन, निर्गत राशि और व्यय के रुझान पर फीडबैक देना।

ii. वैधानिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया की निगरानी करना, समेकित लेखापरीक्षा रिपोर्ट और उपयोग प्रमाण पत्रों की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करना, उनकी जांच करना और संबंधित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से अनुपालन प्राप्त करना।

iii. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के लिए घटक-वार निधि उपयोग डेटाबेस का समेकन करना।

iv. एफएमआर प्रारूप के अनुसार एनएचएम के भीतर के घटकों में निधि उपयोग, लेखापरीक्षित उपयोग प्रमाण पत्रों, व्यय के रुझान और उपयोग के पैटर्न से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण करना।

v. एनएचएम कार्यक्रमों के लिए एफएमआर और लेखापरीक्षा विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करना और उन्हें मंत्रालय के संबंधित कार्यक्रम प्रभागों में परिचालित करना और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को टिप्पणियों के लिए भेजना।

vi. निधि जारी करने और व्यय के संबंध में एनडीसीपी के साथ बातचीत करना और उनसे निर्धारित मासिक स्थिति रिपोर्ट प्राप्त करना।

vii. एनएचएम वित्तीय प्रबंधन दिशानिर्देशों के संदर्भ में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में वित्तीय प्रक्रियाओं की समीक्षा करना और उनमें सुधार के सुझाव देना।

viii. वित्त, लेखा और लेखापरीक्षा निष्पादन समीक्षा, विशिष्ट वित्तीय अध्ययन और सुधार के लिए टिप्पणियों और सिफारिशों सहित रिपोर्ट तैयार करने के लिए राज्यों का संयुक्त दल दौरा करना।

ix. समय-समय पर राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर के वित्त/लेखा कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करना और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी सहायता प्रदान करना।

x. समय-समय पर संसदीय प्रश्नों/समितियों, आरटीआई, जन शिकायत, वीआईपी संदर्भ, सीएजी और डीजीएसीई लेखापरीक्षा आदि के संबंध में सूचना और डेटा सहायता प्रदान करना।

xi. एनएचएम-वित्त प्रभाग में कार्यशील एनएचएम पीएमएस पोर्टल/इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस का रखरखाव और नियमित अद्यतन सुनिश्चित करना।

xii. समय-समय पर सौंपे गए कोई अन्य कार्य।

4. आउटपुट

सभी कार्यों और उत्तरदायित्वों पर समय पर कार्रवाई करना और प्रत्येक तिमाही के अंत में निदेशक/उप सचिव (एनएचएम-वित्त) को की गई और प्रस्तावित कार्रवाई की एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

5. **अर्हताएं और अनुभव:**

अनिवार्य अर्हता:

किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीए (वित्त) या वित्त में विशेष पीजीडीबीएम/ पीजीडीबीए ।

सामाजिक, निजी या सरकारी क्षेत्र में वित्त और लेखा संबंधी मामलों में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।

वांछनीय अर्हता:

डेटा विश्लेषण में दक्षता के साथ डाटा विश्लेषण टूल /लेखांकन टूल/सॉफ्टवेयर में अनुभव। सरकारी पीएफएमएस पोर्टल पर काम करने का अनुभव। एमएस-ऑफिस (विशेष रूप से एक्सेल/पावरपॉइंट) में दक्षता।

6. आयु सीमा:

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक आवेदक की आयु 50 वर्ष तक होनी चाहिए।

7. **यात्रा और निर्वाह भत्ता**

परामर्शदाता को राज्य/जिला/ब्लॉक/ग्राम स्तर पर व्यापक यात्रा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सभी यात्राएं निदेशक/ उप सचिव (एनएचएम-वित्त) द्वारा अग्रिम रूप से अधिकृत की जा सकेगी। यात्रा के दौरान, परामर्शदाता के समकक्ष पदों के नियमों के अनुसार भोजन/आवास व्यय के लिए एक निश्चित दैनिक भत्ता प्राप्त होगा।

8. रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाएं

परामर्शदाता प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर एक रिपोर्ट निदेशक/उप सचिव(एनएचएम-वित्त) को प्रस्तुत करेंगें।

9. **परामर्श अवधि**

आरंभ में, संविदा 31 मार्च 2027 तक रहेगा, लेकिन कार्य निष्पादन और प्रभाग की आवश्यकता के आधार पर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। पहले तीन माह परिवीक्षा अवधि के होंगे। संतोषजनक कार्य के अध्यधीन, परामर्श सेवा पूरे एक वर्ष तक जारी रहेगी और संविदा को पूर्णत: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के विवेकानुसार नवीनीकृत किया जा सकता है। तथापि, किसी भी पक्ष द्वारा एक महीने का लिखित नोटिस देकर परामर्श सेवा समाप्त की जा सकती है।

9. पारिश्रमिक

परामर्शदाता को भारत सरकार, विकास भागीदार और अन्य नामित विषय विशेषज्ञों के संयुक्त चयन बोर्ड द्वारा अर्हता और अनुभव के आधार पर यथावर्णित 60,000/- रुपये से 1,20,000/- रुपये तक का समेकित मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा। यदि नियुक्ति भारत सरकार के बजट से की जाती है और भुगतान किया जाता है, तो पारिश्रमिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की चयन/समीक्षा समिति द्वारा उस समय के प्रचलित नियमों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा जब इसके लिए विज्ञापन जारी किया गया था।

परामर्शदाता किसी अन्य लाभ, भुगतान, सब्सिडी, मुआवजे या पेंशन का हकदार नहीं होगा, सिवाय उन मामलों के जिनमें परामर्श समझौते में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया हो। परामर्शदाता कर से मुक्त नहीं होगा और प्राप्त पारिश्रमिक पर मौजूदा नियमों के अनुसार लगाए गए किसी भी कर की प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा। परामर्शदाता का नवीनतम सीवी और प्राप्त अंतिम परामर्श भुगतान का प्रमाण संलग्न किया जाना चाहिए।

आवेदन कैसे करें: अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि एनएचएसआरसी की वेबसाइट (http://nhsrcindia.org) पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन को सही-सही भरें। आवेदन निर्धारित ऑनलाइन आवेदन प्रारूप में ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि **13- अक्टूबर-2026** है।

लिखित परीक्षा संबंधी शर्त: यदि भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा शामिल है, तो न्यूनतम अर्हता अंक **70%** होंगे। हालांकि, यदि अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या अधिक होती है, तो **प्रत्येक रिक्ति के लिए 1:5 के अनुपात** का पालन किया जाएगा और शीर्ष 5 उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा। यदि 2 या अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करके अर्हता प्राप्त करते हैं, तो ऐसे सभी उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा।